पत्रांक 8006 / जी0पी0

अपर पुलिस महानिदेशक का आर्थिक अपराध इकाई, बिहार,

डॉ0 श्री कृष्ण सिंह पथ, बेली रोड, पटना।

पटना, दिनांक– 04/08/2022

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना

विषयः– निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01 / 2022–23 के प्रकाशन के संबंध मे।

निदशानुसार उपर्युक्त विषय के सबंध में निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01 / 2022–23 की पॉच प्रतियॉ (सी0डी0 सहित) संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे राज्य एवं राज्य से बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों में (अंग्रेजी एवं हिन्दी) के अगले दो संस्करणों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय साथ ही पी0आर0डी0 वेबसाईट पर भी प्रसारित करने की कृपा की जाय।

इस निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन किन–किन समाचार पत्रों में किया गया इसकी सूचना देने की कृपा की जाय।

अनु0–यथापरि।

पुलिस अधीक्षक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः–

1. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ। कृपया इसे आज ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। साथ ही Indian Trade Journal, Kolkata के अंक में प्रकाशन हेतु Government of India, the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi: 110054,(Tel No. 011-23812527, FAX : 011-23817846), Email ID- sk.mondal.dgcis@nic.in के पते पर भी अनिवार्य रूप से भेजा जाय।

2. Government of India, the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi: 110054,(Tel No. 011-23812527, FAX 011-23817846), Email Id-sk.mondal.dgcis@nic.in को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त निविदा का प्रकाशन Indian Trade Journal, Kolkata के अंक में करने की कृपा की जाय।

पुलिस अधीक्षक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना
निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2022–23

श्री कृष्ण सिंह पथ, बेली रोड, पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना अनुज्ञप्ति के आधार पर अधिकतम 03 (तीन) वर्षो की अवधि बिना विस्तार किए कैंटीन संचालन कराना चाहती है, जिसके लिए संबंधित क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति/फर्म/एजेंसी से Two Bid SyStem के आधार "जैसे है जहॉ है" (As it is where it is) निविदा आमंत्रित की जाती हे, जिसकी विवरणी निम्न है:–

1. विभाग का नाम– आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना।
2. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता–पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय दिनांक–25.08.2022 –11:00 बजे पूर्वाहन तक।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक–25.08.2022 – 15:00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान– पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना का कार्यालय के पास रखी निविदा पेटी।
6. कार्य का व्योरा–

क्र0	कार्य
1	श्री कृष्ण सिंह पथ, बेली रोड, पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना में कैंटीन संचालन कार्य।

निविदा के नियमों, शर्तों की जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के दूरभाष सं0–0612–2215141 पर सम्पर्क किया जा सकता है, कार्यालय के सूचना पट तथा तथा वेबसाइट www.prdhihar.gov.in or www.biharpolice.nic.in पर देखा जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।

निविदा संख्या–01/2022–23 के नियम एवं शर्ते

(I) निविदा समर्पित करने की प्रक्रिया।

1. इन मदो में निविदायें सिर्फ बिहार में स्थित इकाईयों या राज्य के बाहर उत्पादनरत इकाईयों के स्थानीय कॉरपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/विक्रेता/एजेंट/अपूर्तिकर्ता/प्राधिकृत डीलर के द्वारा ही दी जाएगी लेकिन सफल निविदादाताओं को क्रयादेश के पहले बिहार वणिज्य कर में निबंधन का प्रमाण पत्रदेना होगा। अधिकृत विक्रेता/प्राधिकृत डीलर या एजेंट को उनके उत्पादनकर्त्ता फर्म का प्राधिकार पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
2. निविदा दो भागों में–(1) तकनीकी भाग (लिफाफा–1) तथा–(2) वित्तीय भाग (लिफाफा–2) के रूप में ली जाएगी।
3. तकनीकी भाग (लिफाफा–I) एवं वित्तीय भाग (लिफाफा– II में) दो अलग–अलग लिफाफे में सीलबंद रहेंगे तथा दोनों लिफाफों के उपर निविदा सं0–01/2022–23 का तकनीकी भाग तथा निविदा सं0–01/2022–23 का वित्तीय भाग अंकित रहेगा। इन लिफाफों पर फर्म का नाम एवं पता अंकित रहेगा। **ये दोनों लिफाफों एक बड़े लिफाफे में सीलबंद रहेगें जिसके उपर सिर्फ निविदा सं0–01/2022–23 अंकित रहेगा। फर्म का नाम एवं पता इस पर अंकित नहीं रहेगा।**
4. निविदा के तकनीकी भाग निर्धारित समय एवं तिथि को आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना में खोला जायेगा। उक्त अवसर पर निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
5. निविदा खुलने के पश्चात् निविदा से संबंधित किसी प्रकार का कागजात स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(II) तकनीकी निविदा समर्पित करने हेतु निदेश– निविदा का तकनीकी भाग लिफाफा– I में समर्पित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित Credential संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके लिए Annexure-A समर्पित किया जाएगा। (संलग्न है)

1. वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का आयकर रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट/प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउंट एवं बैलंस शीट का अभिप्रमाणित प्रति किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेन्ट से सत्यापित कराकर (मुहर सहित) निविदा के साथ समर्पित की जाए।
2. तकनीकी भाग में सभी आवश्यक कागजात (टेक्नो–कमर्सियल प्रोफाइल), EMD, वार्षिक टर्न ओवर तथा अन्य शर्तों का प्रमाण पत्र, अग्रधन की वांछित राशि आदि अन्य सभी आवश्यक सूचनाएँ संलग्न कर समर्पित करेंगें।
3. निविदा के तकनीकी भाग के साथ Earnest Money Deposit के रूप में रू0 1,00,000/– (एक लाख रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट के रूप में पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के नाम से बंधित कर जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. आवेदक की आर्थिक सुदृढ़ता का मूल्यांकन हेतु बैंकर द्वारा निर्गत बैंकर्स प्रमाण पत्र (Bank Solvency Certificate) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। जो कि निविदा प्रकाशन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना नहीं होगा।
5. निविदा के साथ अद्यतन आयकर रिटर्न, पैन नंबर तथा निमार्णकर्त्ता/ट्रेडर इत्यादि होने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करेंगे।
6. निविदादाता ने अपनी निविदा के तकनीकी भाग में कौन–कौन से अनुलग्नक संलग्न किए हैं उसकी सूची का उल्लेख फर्म के लेटर पैड पर करना अनिवार्य होगा तथा यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि अनुलग्नित सभी कागजात उनके जानकारी के अनुसार सत्य है।
7. निविदा में भाग लेने वाले फर्म इस आशय का Affidavit जमा करेंगे कि "उनका फर्म किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी /निजी संस्था द्वारा Black Listed/Debarred नहीं किया गया है एवं Sister Concern द्वारा इस निविदा में भाग नहीं लिया जा रहा है।
8. निविदाकर्त्ता द्वारा FSSAI अथवा ISO Certificate (Latest)/ESI Registration/EPF Registration/Labor License/Catering Service एवं कैंटीन संचालन का निबंधन संबंधी Certificate निविदा के तकनीकी भाग में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. .तकनीकी भाग में Partnership or Proprietorship Firm/Registered Society/Individual से संबंधित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(III) वित्तीय निविदा समर्पित करने हेतु निदेश।

1. निविदा की वित्तीय भाग में निविदा दाताओं द्वारा दर भरा जायेगा जो Annexure –B (संलग्न है) के अनुसार होगा।

(IV) निविदा समर्पित करने की अन्य शर्ते।

1. सफल निविदाकर्त्ता को Performance Guarantee के लिए Security Money के रूप में रू0 5,00,000/–(पॉच लाख रूपये) मात्र का Bank Draft पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के नाम से समर्पित करना होगा।
2. सफल निविदाकर्त्ता/फर्म को रू0 1,000/–(एक हजार रूपये) मात्र के Judicial Stamp paper पर एकरारनाम की कार्रवाई की जाएगी। एकरारनामा सम्पादन में निविदाकर्त्ता को एक साक्षी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। एकरारनामा की कार्रवाई के निविदाकर्त्ता एवं साक्षी द्वारा पहचान पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति भी समर्पित करना अनिवार्य होगा।
3. अपर पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये एवं बिना किसी सूचना के किसी भी समय निविदा को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः रद्द कर दें अथवा निविदा के किसी शर्त को शिथिल कर दें।
4. Security Norms एवं Fire Fighting Norms के संबंध में निविदाकर्त्ता की अपनी जिम्मेवारी होगी।
5. निविदाकर्त्ता द्वारा दी गयी सूचनाएँ किसी भी समय गलत पायी जाती है तो बिना सूचना के एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा एवं Security Deposit जब्त कर लिया जाएगा।
6. क्रॉकरी/फर्निचर/उपस्कर एवं फर्निसिंग आदि की व्यवस्था सफल फर्म द्वारा ही किया जाएगा।
7. बिजली, पानी एवं अन्य हेतु चार्ज (Charge) सफल फर्म द्वारा भुगतान किया जएगा।
8. Packed item का दर MRP से अधिक नही होगा।
9. समोसा, रसगुल्ला, काला जामुन, शाकाहारी थाली, मांसाहारी थाली, चाय एवं कॉफी का अधिकतम दर निर्धारण आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना की कैंटीन मैनेजिंग कमिटि द्वारा किया जाएगा।
10. खाद्य पदार्थों का अधिकतम मूल्य बाजार मूल्य के समतुल्य होना चाहिए। मनमाने ढंग से दर निर्धारित करने पर कैंटीन मैनेजिंग कमिटि द्वारा दर निर्धारण पर विचार किया जाएगा।
11. निविदाकर्त्ता द्वारा कैंटीन संचालन हेतु आर्थिक अपराध इकाई भवन परिसर का निरीक्षण कर स्थान निर्धारण किया जाएगा।

निविदा की अन्य सामान्य शर्तेः–

1. प्रथाम वर्ष के लाईसेंस फीस की राशि के साथ G.S.T. की राशि आवंटन पत्र निर्गत की तिथि से सात दिनों के अन्तर्गत जमा करना होगा।
2 .जमानत के रूप में द्वितीय वर्ष का लाइसेंस राशि (जो प्रथाम वर्ष के लाइसेंस राशि का 5% अधिक होगा) के समतुल्य राशि का N.S.C./Fixed Deposit/Bank Guarantee, S.P. EOU Bihar, Patna के नाम से जमा करना होगा। इस पर प्रथम पक्ष द्वारा किसी प्रकार का सूद द्वितीय पक्ष को देय नहीं होगा। आवंटन पत्र निर्गत की तिथि के सात दिनों के अन्दर जमा करना होगा।
3. द्वितीय वर्ष के लिए लाइसेंस की राशि प्रथम वर्ष की राशि का 5% (पॉच प्रतिशत) अधिक राशि होगी एवं तृतीय वर्ष का लाइसेंस की राशि प्रथम वर्ष की राशि 10% (दस प्रतिशत) अधिक राशि होगा। निर्धारित तिथि के 03 माह पूर्व अगले वर्ष की अनुज्ञप्ति राशि जमा करने पर प्रोत्साहन स्वरूप 5% का सूद का लाभ दिया जायेगा। उक्त निर्धारित तिथि से तीन माह के बीच की अवधि अर्थात अनुज्ञप्ति अवधि के प्रथम वर्ष की समाप्ति तक अग्रिम राशि जमा करने पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा, परन्तु उक्त निर्धारित तिथि के बाद अर्थात प्रथम वर्ष के लाइसेंस अवधि की समाप्ति के बाद भुगतान करने पर 2.50% प्रतिमाह की दर से देय राशि पर विलम्ब शुल्क लगेगा।

4. सारी वांछित राशि प्राप्त होने पर ही उक्त सम्पत्ति का प्रभार संचालन हेतु सौंपा जायेगा तथा आवंटन तिथि की गणना, अवंटन–पत्र निर्गत की तिथि से की जायेगी।
5. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटित सम्पत्ति का पूर्ण या आंशिक भाग को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
6. अपर पुलिस महानिदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लाइसेंसधारी द्वारा चलाये जा रहे सम्पदा आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा।
7. यदि लाइसेंसधारी निर्धारित अवधि में लाइसेंस की राशि का भुगतान आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं करें तो वैसी स्थिति में अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को निम्न प्रकार से कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

क. लाइसेंसधारी का लाइसेंस आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना रद्द कर देगा।

ख. आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना जमा अग्रधन की राशि को जब्त कर लेगा।

ग. प्रथम पक्ष अर्थात् आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात् लाइसेंसधारी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा निकाले गये किसी निविदा में उन्हें भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

घ. लाइसेंसधारी द्वारा एकरारनामा के अनुरूप लाईसेंस फी एवं अन्य फी भुगतान नहीं करने पर इस Criminal Breach of Trust समझा जाएगा तथा इसके लिए आवश्यक फौजदारी/दीवानी/प्रमाण पत्र मुकदमा करने का अधिकार आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को होगा।

ड़. यदि निर्धारित तिथि तक लाईसेंस शुल्क जमा लीजधारी द्वारा नहीं किया जाता है तो, विलम्बित अवधि के लिए 2.5% प्रतिमाहकी दर से विलम्ब शुल्क लगेगा।

8. लाइसेंसधारी आवंटित स्थल में किसी प्रकार के गैर कानूनी/प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेंगे एवं परिसर का उपयोग सिर्फ कैंटीन संचालन करेंगे जिसके लिये उन्हें आवंटित किया गया है। आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी इसे संचालन की स्थिति में रखेंगे, इसे बन्द कर नहीं रखेंगे।
9. आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित जगह को छोड़कर अन्य किसी भी जगह में लाइसेंसधारी द्वारा साईनबोर्ड अथवा किसी प्रकार का प्रचार–पटल नहीं रखा जायेगा और न ही आवंटित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी जगह पर कब्जा किया जायेगा।
10. सम्पदा के परिसर एवं इसके आस–पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि में सभी प्रकार के सौन्दर्यीकरण एवं सामान्य रख–रखाव का कार्य अपने खर्च पर किया जायेगा।
11. लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि में किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा एवं असावधानी के कारण हुये क्षति की भरपाई एक सामान्य समय सीमा के अन्दर अपने खर्च पर किया जायेगा। इस प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु लाइसेंसधारी द्वारा बीमा कराया जा सकता है, जिसके प्रीमियम की राशि उन्हें स्वयं वहन करनी होगी।
12. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन के एक माह के भीतर अपने खर्च पर स्वतंत्र रूप से अपने नाम विद्युत मीटर की व्यवस्था कर ली जायेगी एवं विपत्रों के भुगतान करने के पश्चात् लाइसेंसकर्त्ता को उसकी सूचना देंगे। साथ ही जलापूर्ति की भी व्यवस्था अपने खर्च पर करेंगे।
13 विद्युत हेतु स्टैण्डवाई व्यवस्था, साइलेन्ट जेनरेटर आदि की व्यवस्था लाइसेंसधारी के द्वारा स्वयं अपने खर्च पर की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे पर्यावरण को क्षति पहॅचती हो। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जल स्त्रोतों को प्रदूषित नहीं किया जायेगा एवं जलस्त्रोंतो का उपयोग उतना ही किया जायेगा जितनी की आवश्यकता हो।
14 लाइसेंसधारी के द्वारा किसी प्रकार का संवैधानिक भुगतान नहीं करने के कारण डिफॉल्टर होने पर लाइसेंसकर्त्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये Security Money में से कर दिया जायेगा एवं भुगतान की राशि को 30 दिनों के अन्दर लाइसेंसधारी 10% प्रतिशत प्रतिमाह सूद के साथ लाइसेंसकर्त्ता को वापस Security Money के रूप में जमा कर देंगे, अन्यथा लाइसेंसकर्त्ता लाइसेंस रद्द कर देगा।
15. लाइसेंस अवधि की समाप्ति के उपरान्त आवंटित सम्पत्ति आदि को उसी अवस्था में सुपुर्द करेंगे, जिस अवस्था में दिया गया था। किसी प्रकार का एडिशन एवं अल्ट्रेशन आदि आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाना है।
16. लाइसेंसधारी के द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी अवस्था में अवंटित सम्पत्ति आदि का संचालन नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् खाली किये जाने वाले अवधि तक पेनाल्टी के रूप में लाइसेंस फीस के दोगुणा राशि लाइसेंसकर्त्ता को जमा कराना होगा।

17. लाइसेंसधारी के द्वारा एकरारनामा के शर्तों के उल्लंघन के अवस्था में अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी एवं गलत सूचना के आधार पर प्राप्त किया गया, आदि का संचालन हेतु लाइसेंस अथवा पूर्व में किसी प्रकार क फौजदारी मुकदमें में सजायाफ्ता होने की जानकारी मिलने पर, लाइसेंसकर्त्ता के द्वारा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा एवं जमा सारी राशि जब्त कर ली जायेगी और उन्हें Blacklist कर दिया जाएगा तथा भविष्य में आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के किसी निविदा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

18. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन के समय पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से एकरारनामा करना आवश्यक है एवं लाइसेंस के संबंध में एकरारनामा से संबंधित सभी प्रकार के स्टाम्प ड्यूटी का खर्च लाइसेंसधारी को स्वयं वहन करना होगा।

19. आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा आवेदन पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि आवेदक Refuse करते हैं या कोई शर्त्त रखते हैं तो वह मान्य नहीं होगा और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा सारी राशि स्वतः जब्त समझी जायेगी।

20. लाइसेंसधारी द्वारा कैंटीन के संचालन के निमित रखे गये कार्मिक आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के कार्मिक नहीं कहलायगें, आवेदक की यह जिम्मेवारी होगी कि अपने अधीनस्त रखे गये कर्मचारियों को श्रम कानून के अन्तर्गत निर्धारित अहर्तायें(E.P.F/E.S.I एवं अन्य) पूरा करेंगे एवं इसकी पूरी जबावदेही आवेदक की ही होगी।

    श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों एवं प्रावधानों का कठोरता से पालन अनुज्ञप्तिधारी करेंगे। श्रम कानून से उठने वाले सभी प्रकार की जबावदेही अनुज्ञप्तिधारी की होगी।

21. आवंटित परिसर में किसी प्रकार के दुर्घटनाओं की जिम्मेवारी, लाइसेंसधारी की होगी तथा इससे संबंधित किसी भी प्रकार की वैधानिक जबावदेही लाइसेंसधारी की होगी।

22. लाइसेंसधारी को वन एवं पर्यावरण तथा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित सभी नियमों का अनुपालन करना होगा।

23. Municipal Tax एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/नगर पंचायत द्वारा लगा होल्डिंग टैक्स या किसी भी प्रकार का कर का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा किया जायेगा। डिफाल्ट की स्थिति में जमानत की राशि जब्त करते हुये लाइसेंस रद्द कर प्रभार प्राप्त कर लिया जायेगा। साथ ही संबंधित बकाया राशि वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

24. द्वितीय पक्ष को 06(छः) माह के नोटिस अथवा 06(छः) माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति राशि का भुगतान कर एवं सभी बकाया राशि का भुगतान कर अनुज्ञप्ति से बाहर आने का अधिकार होगा।

25. निविदा के किसी भी प्रकार के InterPrecipitate या उसके संबंध में आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। साथ हीं किसी प्रकार का विवाद होने पर उसका निष्पादन दोनों पक्षों के सहमति से नियुक्त आरविट्रेटर द्वारा किया जायेगा, जिसका अधिकार क्षेत्र पटना होगा।

26. प्रथम पक्ष विवकाधिकार से बिड डालने की तिथि में संशोधन कर सकती है एवं विस्तारित तिथि के अनुसार ही निविदादाता बिड समर्पित करेगें, जिसकी सूचना वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

(हस्ताक्षर) 4/8/2022.

पुलिस अधीक्षक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।

ANNEXURE-A

1. इकाई का नामः
   (जिसके लिये आवेदन दिया जा रहा है)
2. आवेदक का नामः
   (अनुभवी व्यक्ति/एजेंसी/फर्म इंडिभिजुअलः
   संबंधित कागजात की प्रतिलिपि संलग्न करें)
3. पिता का नामः
4. वर्त्तमान एवं स्थाई पताः
   (दूरभाष सहित)
   (कृपया आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. **क्रेडेंशियल्स :**

I. वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का आयकर रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट/प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउंट एवं बैलंस शीट का अभिप्रमाणित प्रति किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउॅटेन्ट से सत्यापित कराकर (मुहर सहित) निविदा के साथ समर्पित की जाए।

II. तकनीकी भाग में सभी आवश्यक कागजात (टेक्नो–कमर्सियल प्रोफाइल), EMD, वार्षिक टर्न ओवर तथा अन्य शर्तो का प्रमाण पत्र, अग्रधन की वांछित राशि आदि अन्य सभी आवश्यक सूचनाएँ संलग्न कर समर्पित करेंगें।

III. निविदा के तकनीकी भाग के साथ Earnest Money Deposit के रूप में रू0 1,00,000/–(एक लाख रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट के रूप में पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के नाम से बंधित कर जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

IV. आवेदक की आर्थिक सुदृढ़ता का मूल्यांकन हेतु बैंकर द्वारा निर्गत बैंकर्स प्रमाण पत्र (Bank Solvency Certificate) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। जो कि निविदा प्रकाशन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना नहीं होगा।

V. निविदा के साथ अद्यतन आयकर रिटर्न, पैन नंबर तथा निमाणकर्त्ता/ट्रेडर इत्यादि होने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करेंगे।

VI. निविदादाता ने अपनी निविदा के तकनीकी भाग में कौन–कौन से अनुलग्नक संलग्न किए हैं उसकी सूची का उल्लेख फर्म के लेटर पैड पर करना अनिवार्य होगा तथा यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि अनुलग्नित सभी कागजात उनके जानकारी के अनुसार सत्य है।

VII. निविदा में भाग लेने वाले फर्म इस आशय का Affidavit जमा करेंगे कि उनका फर्म किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी /निजी संस्था द्वारा Black Listed/Debarred न्हीं किया गया है एवं Sister Concern द्वारा इस निविदा में भाग नहीं लिया जा रहा है।

VIII. निविदाकर्त्ता द्वारा FSSAI अथवा ISO Certificate (Latest)/ESI Registration/EPF Registration/Labor License/Catering Service एवं कैंटीन संचालन का निबंधन संबंधी Certificate निविदा के तकनीकी भाग में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

IX. तकनीकी भाग में Partnership or Proprietorship Firm/Registered Society/Individual से संबंधित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. **आवेदक की अन्डरटेकिंग**

- मेरे द्वारा निविदा नियमावली एवं अन्य नियम एवं शर्तें अच्छी तरह पढ़ने/समझने के उपरान्त यह आवेदन दिया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों/शर्त्तों के अनुसार आवंटित इकाई की संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ।
- मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य/संलग्न अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। निविदा में किसी भी स्तर पर इन्हे गलत पाये जोने पर आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना यथोचित आवश्यक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

ANNEXURE-B

1- इकाई का नाम(जिसके लिये आवेदन दिया जा रहा है):–

2- आवेदक का नाम:–

3- पिता का नाम:–

4- वर्त्तमान पता:–

5- स्थाई पता:–

6- आवेदक द्वारा ऑफर की गई प्रथम वर्ष हेतु लाइसेंस राशि +GST राशि:–

अंकों में (रू0...)

एवं

शब्दों में (रू0..)

अंकित दर में कोई कटिंग/ओवरराईटिंग मान्य नहीं होगा तथा ऐसी निविदा को अस्वीकृत किया जा सकेगा।

नोट:–

1. लाइसेंसीधारी लीज की राशि का उल्लेख अंक और शब्दों में हाथ से न लिखकर, टाईप कराकर दें, जिसमें किसी भी प्रकार का कटिंग या ओभर राईटिंग न हो। कटिंग एवं ओमर राईटिंग होने पर उसे अमान्य कर दिया जायेगा।

2. लाइसेंसीधारी द्वारा लाइसेंस फीस के समतुल्य राशि जमानत के रूप में N.S.C/Fixed Deposit/ Bank Guarantee प्लेज्ड "आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना" के नाम जमा करना होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर